न्यूज़ टुडे

पहली बार भारतीय समुद्र विज्ञानियों ने एक सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की इमेज कैप्चर की

यह खोज **हाइड्रोथर्मल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम** के तहत की गई है। इसे **राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR) तथा राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT)** ने मिलकर संचालित किया था।

- यह हाइड्रोथर्मल वेंट **हिंद महासागर की सतह से 4,500 मीटर नीचे** स्थित है।
- यह स्थान **डीप ओशन मिशन के तहत खनिज अन्वेषण** के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में

- हाइड्रोथर्मल वेंट्स समुद्र के भीतर के ऐसे स्रोत होते हैं, जहां समुद्र नितल के पास मौजूद ठंडा पानी मैग्मा के संपर्क में आता है।
  - जब ठंडा पानी समुद्र नितल पर मौजूद दरारों व छिद्रों से होकर रिसता है और मैग्मा से मिलता है, तो वह गर्म हो जाता है।
  - यह गर्म पानी आसपास की चट्टानों से खनिजों को घोलकर हाइड्रोथर्मल प्लूम्स के रूप में बाहर निकलता है। ये प्लूम्स ट्रेस मेटल्स, गैसों और खनिजों से समृद्ध होते हैं।
- **विश्व में हाइड्रोथर्मल वेंट्स मध्य-महासागरीय कटक प्रणाली** में पाए जाते हैं।
- **ये विविध पारिस्थितिक-तंत्रों और सूक्ष्मजीव समुदायों** को आश्रय देते हैं तथा गहरी समुद्री दशाओं में खाद्य जाल की आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं।

डीप ओशन मिशन के बारे में

- इसे **5 वर्ष** की अवधि के लिए 4077 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 2021 में स्वीकृत किया गया है।
- **नोडल मंत्रालय:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।
- **प्रमुख घटक:**
  - गहरे समुद्र में खनन और मानवयुक्त पनडुब्बियों के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना;
  - महासागरीय जलवायु परिवर्तन संबंधी परामर्श सेवाओं का विकास करना;
  - गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और उसके संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार करना;
  - गहरे महासागर का सर्वेक्षण और अन्वेषण करना;
  - महासागर से ऊर्जा और पेय जल बनाने की तकनीकों का विकास करना;
  - महासागरीय जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन स्थापित करना।

RBI ने "राज्यों का वित्त: 2024-25 के बजट का अध्ययन (राज्यों द्वारा राजकोषीय सुधार) रिपोर्ट" जारी की

इस रिपोर्ट में राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति का **व्यापक विश्लेषण** किया गया है। इसमें **2022-23 के वास्तविक अनुमान से लेकर 2024-25 के बजट अनुमान** तक की अवधि को कवर किया गया है। साथ ही, इसमें 'राज्यों द्वारा राजकोषीय सुधार' पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

राज्यों की राजकोषीय स्थिति का अवलोकन

- **सकल राजकोषीय घाटा (GFD):** राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा **2022-23 में 2.7%** था। यह बढ़कर **2023-24 में GDP का 2.9%** हो गया।
  - सकल राजकोषीय घाटा **कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर** है।
    - कुल व्यय में **राजस्व और पूंजीगत व्यय** शामिल हैं, जबकि राजस्व प्राप्तियों में **ऋण सृजन नहीं करने वाली पूंजीगत प्राप्तियां** भी शामिल हैं।
- **राज्यों की राजस्व प्राप्तियां: केंद्र से राज्यों को कम कर हस्तांतरण** जैसी वजहों से 2022-23 में **राजस्व प्राप्तियों में मामूली गिरावट** दर्ज की गई थी।
  - राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं, जिन्हें सरकार से वापस नहीं लिया जा सकता तथा जो सरकार पर **कोई देयताएं (ऋण) आरोपित नहीं** करती। दरअसल राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में **कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान** शामिल होते हैं।
- **पूंजीगत व्यय:** इसमें **सुधार दर्ज** किया गया है। राज्यों का पूंजीगत व्यय **2022-23 में GDP के 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में GDP का 2.6 प्रतिशत** हो गया।
  - इसमें उन व्ययों को शामिल किया जाता है, जिनसे **भौतिक/ वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण** होता है।
- **कुल ऋण:** राज्यों का कुल बकाया ऋण **मार्च 2004 में GDP का 31.8%** था। यह घटकर **मार्च 2024 में GDP का 28.5%** हो गया।
  - 2017 में **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) समीक्षा समिति ने इसे GDP के 20% तक सीमित** रखने की सिफारिश की थी।

राज्यों द्वारा किए गए मुख्य सुधार

- **संस्थागत सुधार:** कुछ राज्यों ने **नीति आयोग के राज्य सहायता मिशन** के तहत **"परिवर्तन के लिए राज्य संस्थान"** की स्थापना की है, आदि।
- **व्यय में सुधार:** लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का उपयोग किया जा रहा है।
  - जैसे- **तेलंगाना** में रायथु बंधु योजना की राशि DBT के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में वितरित की जा रही है।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- **सब्सिडी में सुधार:** जैसे विद्युत सब्सिडी, कृषि ऋण माफी आदि में सुधार की जरूरत है। इससे उत्पादक कार्यों में अधिक व्यय करने के लिए धनराशि बच सकेगी।
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सुधार:** इन सुधारों से राज्य-विशेष की जरूरतों के अनुसार बजटीय व्यय को बढ़ावा मिलेगा।
- **अन्य सिफारिशें:**
  - कई तरह के ऋणों की बजाय **कम ब्याज दर पर एक ही ऋण लेने को प्राथमिकता** देनी चाहिए,
  - **समय पर डेटा उपलब्ध** कराना चाहिए,
  - **जलवायु बजट को अपनाना** चाहिए,
  - **आउटकम बजट प्रस्तुत** करना चाहिए, आदि।

- **उधारी से संबंधित सुधार:** सकल राजकोषीय घाटे (GFD) के वित्त-पोषण के लिए **बाजार से उधार लेने पर जोर** दिया जा रहा है। GFD के वित्त-पोषण में बाजार से उधार की हिस्सेदारी **2005-06 की 17% से बढ़कर 2024-25 (बजट अनुमान) में 79.0%** हो गई।

इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज (IPBES) ने 'नेक्सस असेसमेंट' रिपोर्ट जारी की

इस रिपोर्ट को "**जैव विविधता, जल, खाद्य और स्वास्थ्य के बीच परस्पर संबंधों पर आकलन रिपोर्ट**" भी कहा जाता है।

- यह रिपोर्ट **जैव विविधता, जल, खाद्य, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन** जैसे पांच आपस में जुड़े घटकों के जटिल संबंधों का वैज्ञानिक विश्लेषण करती है। साथ ही, इससे मिलने वाले लाभों को बढ़ाने के लिए संभावित समाधान भी प्रस्तुत करती है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- नेक्सस (परस्पर जुड़े) घटकों को प्रभावित करने वाली वर्तमान आर्थिक गतिविधियों की **अनदेखी लागत (Unaccounted-for costs) प्रति वर्ष कम-से-कम 10-25 ट्रिलियन डॉलर है।**
  - ऐसी अनदेखी लागतों के साथ-साथ प्रत्यक्ष सार्वजनिक सब्सिडी की मौजूदगी से भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली आर्थिक गतिविधियों में **निजी वित्तीय निवेश को बढ़ावा** मिलता है।
- पिछले 30-50 वर्षों में **प्रति दशक जैव विविधता में 2-6% की गिरावट** आई है। इससे पारिस्थितिकी-तंत्र की कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता कम हो रही है और जलवायु परिवर्तन में तेजी आ रही है।
- पिछले 50 वर्षों में जैव विविधता की हानि के लिए जिम्मेदार अप्रत्यक्ष सामाजिक-आर्थिक कारक प्रत्यक्ष कारकों **(जैसे भूमि और समुद्र उपयोग में परिवर्तन, प्रदूषण तथा आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रसार)** में वृद्धि कर रहे हैं।
  - अप्रत्यक्ष सामाजिक-आर्थिक कारकों में **बढ़ता कचरा, अति-उपभोग, जनसंख्या वृद्धि** आदि शामिल हैं।
- ताजे जल की असंधारणीय तरीके से निकासी, आर्द्रभूमि के क्षरण तथा वनों की कटाई ने जल की गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन का सामना करने की उसकी क्षमता को कम कर दिया है।
- **लगभग 50% उभरती संक्रामक बीमारियां पारिस्थितिकी-तंत्र, पशु और मानव स्वास्थ्य के बीच के परस्पर जुड़ाव** से होती हैं।

आगे की राह

- वन, मैंग्रोव जैसे कार्बन-समृद्ध पारिस्थितिकी-तंत्रों की पुनर्बहाली के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए जैव विविधता का प्रभावी प्रबंधन करना चाहिए।
- **अन्य सुझाव:**
  - शहरी क्षेत्रों में प्रकृति-आधारित समाधान अपनाने चाहिए;
  - देशज समुदायों के ज्ञान का उपयोग करना चाहिए;
  - संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना चाहिए;
  - "वन हेल्थ" दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए आदि।

इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज (IPBES) के बारे में

- इसे 2012 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य **जैव विविधता के संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग, मानव कल्याण और सतत विकास के लिए जैव विविधता व पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं हेतु विज्ञान-नीति जुड़ाव को मजबूत** करना है।
- यह एक **स्वतंत्र अंतर-सरकारी** निकाय है, जिसमें **150 सदस्य** देश शामिल हैं।
  - **भारत इसका संस्थापक सदस्य है।**
- यह **संयुक्त राष्ट्र की इकाई नहीं** है, लेकिन **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** IPBES को **सचिवालय सेवाएं** प्रदान करता है।

नीति आयोग ने "सेफ (S.A.F.E) एकोमोडेशन: विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास सुविधा" रिपोर्ट जारी की

नीति आयोग द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत के विनिर्माण क्षेत्रक को बढ़ावा देने में औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षित और किफायती आवास की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

- **केंद्रीय बजट 2024-25** में इसे **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** मॉडल और **वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF)** के तहत लागू करने के महत्व पर जोर दिया गया है।

"सेफ यानी साइट एड्जसेंट फैक्ट्री एम्प्लॉयी (S.A.F.E.) एकोमोडेशन" के बारे में

- **परिभाषा:** इसमें किराए पर लंबे समय तक उपयोग के लिए डॉरमेट्री-शैली के आवास शामिल हैं। ये आवास विशेष रूप से औद्योगिक श्रमिकों के लिए होते हैं और कार्यस्थलों के पास स्थित होते हैं।
  - इस तरह के आवास में पानी, बिजली जैसी आवश्यक सुविधाएं होती हैं।
  - इसमें पारिवारिक आवास शामिल नहीं होते हैं।
  - इन आवास इकाइयों का स्वामित्व श्रमिकों या नियोक्ताओं को स्थानांतरित या बेचा नहीं जा सकता है।
- **सेफ (S.A.F.E.) एकोमोडेशन की आवश्यकता क्यों है?**
  - **उत्पादकता और कर्मचारियों की रिटेंशन दर में वृद्धि:** इससे श्रमिकों के आवागमन में लगने वाले समय में कमी आती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। साथ ही, कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर भी कम हो जाती है।
  - **वैश्विक निवेश को आकर्षित करना:** इसके चलते वैश्विक निवेशकों द्वारा निवेश संबंधी निर्णय लेने में श्रमिक कल्याण और परिचालन दक्षता को प्राथमिकता दी जाती है।
  - **लैंगिक समावेशन:** इससे महिला श्रम शक्ति की भागीदारी बढ़ती है। **चीन** में महिला श्रम भागीदारी दर भारत की तुलना में लगभग **दोगुनी** है।

मौजूदा चुनौतियां

- **विनियामकीय चुनौतियां:**
  - **कठोर जोनिंग कानून:** स्पष्ट तौर पर अनुमति के बिना, औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय परिसरों के निर्माण पर रोक लगायी गयी है।
  - **अप्रसांगिक भवन उप-नियम:** कम फ्लोर एरिया अनुपात के चलते उच्च क्षमता वाले आवासीय भवनों का निर्माण संभव नहीं हो पाता है, आदि।
- **आर्थिक चुनौतियां:**
  - **उच्च परिचालन लागत:** औद्योगिक क्षेत्रों में बने आवासों को वाणिज्यिक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके चलते अधिक कर का भुगतान करना पड़ता है।
  - **उच्च पूंजीगत लागत:** आवास परियोजनाओं के लिए शुरुआत में बहुत अधिक निवेश करना पड़ता है, आदि।

रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें

- **श्रमिक सुविधाओं का पुनर्वर्गीकरण:** "**सेफ एकोमोडेशन**" को एक अलग श्रेणी में रखा जाए, ताकि GST संबंधी छूट, करों में कटौती आदि का लाभ मिल सके।
- **पर्यावरणीय मंजूरी और जोनिंग कानूनों का सरलीकरण:** मिश्रित उपयोग वाले आवासीय परिसरों के निर्माण की अनुमति देनी चाहिए।
- **आर्थिक व्यवहार्यता:** परियोजना लागत का **30-40% (भूमि को छोड़कर) वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF)** के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही, पारदर्शी बोली प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, आदि।

वैश्विक स्तर पर "सेफ एकोमोडेशन" के बेहतर उदाहरण

- **चीन:** श्रमिकों को सस्ते आवास उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे उनकी वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है।
- **सिंगापुर:** यहां प्रवासी श्रमिकों के आवास के लिए अलग कानून बनाया गया है। श्रमिकों के डॉरमेट्री के लिए अलग भवन नियम लागू किए गए हैं।
- **वियतनाम:** औद्योगिक पार्कों में श्रमिकों के लिए आवास इकाइयां बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है।

एक अध्ययन में नैनो-प्लास्टिक को एंटीबायोटिक प्रतिरोध के प्रसार में उभरते अभिकारक के रूप में चिन्हित किया गया

इस अध्ययन में बताया गया है कि **सिंगल-यूज प्लास्टिक बॉटल्स (SUPBs) से निकलने वाले नैनोप्लास्टिक्स एंटीबायोटिक प्रतिरोध (AR) के प्रसार में योगदान** करते हैं।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **नैनोप्लास्टिक्स और सूक्ष्मजीव मानव आंत सहित अलग-अलग परिवेश में सह-अस्तित्व** में रहते हैं।
- पॉलीएथिलीन टेरिफ्थेलैट बॉटल-डिराइव्ड नैनोप्लास्टिक (PBNP) हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर (HGT) प्रक्रिया के माध्यम से अलग-अलग प्रजातियों के मध्य जीन ट्रांसफर को संभव कर सकता है। जैसे **ई. कोलाई से लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस में जीन ट्रांसफर। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, मानव आंत माइक्रोबायोटा** में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण लाभकारी बैक्टीरिया है।
  - HGT **जीवों के बीच आनुवंशिक सूचना या सामग्री के संचलन की प्रक्रिया** है। यह संचलन पारंपरिक वंशानुगत स्थानांतरण (माता-पिता से संतान तक) से भिन्न है।
- PBNPs के माध्यम से **एंटीबायोटिक प्रतिरोध (AR) जीन स्थानांतरण की सुविधा के दो मुख्य तंत्र निम्नलिखित हैं:**
  - **डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पाथवे:** इसमें PBNPs भौतिक वाहक की भूमिका निभाते हैं, जिसके तहत वे **AR प्लाज्मिड को बैक्टीरिया झिल्ली में ले जाते** हैं।
  - **आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल (OMV)- इंड्यूस्ड ट्रांसफर पाथवे:** इसमें PBNPs ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न करते हैं। यह तनाव **बैक्टीरिया की सतहों को नुकसान** पहुंचाता है। इससे **OMV स्राव बढ़ता** है, जिससे जीन स्थानांतरण में आसानी होती है।

नैनोप्लास्टिक्स के बारे में

- नैनोप्लास्टिक्स **सिंथेटिक या अत्यधिक संशोधित प्राकृतिक पॉलिमर के ठोस कण** होते हैं। इनका आकार **1 nm (नैनोमीटर) और 1000 nm** के बीच होता है।
- **स्रोत:** प्राथमिक स्रोत जैसे **सौंदर्य प्रसाधन, पेंट, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स,** और द्वितीयक स्रोत जैसे- **माइक्रोप्लास्टिक के टूटने और विखंडन** से उत्पन्न होते हैं।
- **प्रभाव: आकार में छोटे** होने के कारण, नैनोप्लास्टिक्स कोशिकाओं और ऊतकों में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। ये मुख्यतः **मानव रक्त, यकृत और फेफड़ों की कोशिकाओं तथा प्रजनन ऊतकों** में पाए गए हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

इस समिति को **वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर विचार** करने का कार्य सौंपा गया था।

- इस समिति में **31 सदस्य** थे, जिनमें **लोक सभा के 21 और राज्य सभा के 10 सदस्य** शामिल थे।

रिपोर्ट में रेखांकित मुख्य चिंताएं

- **प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य तय न करना:** प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) जैसी कुछ योजनाओं के लिए प्राप्ति लक्ष्य तय नहीं किए जाने के कारण इनके **नतीजों का आकलन करना मुश्किल** हो जाता है।
- **कार्यान्वयन में चुनौतियां:** कई कार्यक्रमों के लिए बजटीय आवंटन का पूरा उपयोग नहीं किया गया। इसकी वजहें थीं- **पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होना, राज्यों द्वारा फंड जारी करने में देरी,** आदि।
- **कानूनों को अनुचित तरीके से लागू करना: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989,** जैसे कानूनों को लागू करने के लिए राज्यों ने आवश्यक कार्यान्वयन तंत्र स्थापित नहीं किए थे। इस वजह से इन्हें सही से लागू नहीं किया गया।

समिति की मुख्य सिफारिशें

- **क्षमता निर्माण:** योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और लक्ष्य प्राप्ति के लिए राज्य के कार्यान्वयन संस्थानों का क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए।
- **सहकारी संघवाद को बढ़ावा:** केंद्र प्रायोजित योजनाओं के सुचारू तरीके से क्रियान्वयन के लिए राज्यों को योजना की अपनी हिस्से वाली राशि समय पर जारी करनी चाहिए।
- **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC):** यह योजनाओं से जुड़ी सूचनाओं के बेहतर प्रचार और व्यापक प्रसार के लिए जरूरी है।
- **राज्य विशेष की समस्याओं को दूर करना:** इसके लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए। साथ ही, राज्यों को अपनी कार्य-योजनाएं प्रस्तुत करने और फंड का प्रभावी तरीके से उपयोग करने के लिए जागरूक व प्रोत्साहित करना चाहिए।

सुभेद्य वर्गों के कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएं

- **अनुसूचित जाति:** इनके कल्याण के लिए स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम (**श्रेयस/ SHREYAS**); प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (**पीएम अजय/ AJAY**) जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
- **अन्य पिछड़ा वर्ग:** इनके लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवॉर्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया (**पीएम यशस्वी/PM YASASVI**) आदि शुरू की गई हैं।
- **वरिष्ठ नागरिक:** इनके कल्याण के लिए **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY); अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY)** जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
- **अन्य वर्गों के लिए: 'सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज (SMILE)** योजना शुरू की गई है। यह योजना **भिखारियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और बेघर लोगों** के लिए है।

अन्य सुर्ख़ियां

मेडिटेक सेक्टर

मेडिटेक यानी चिकित्सा उपकरण क्षेत्रक को भारत में एक उभरता (सनराइज) क्षेत्रक माना जाता है।

- मेडिटेक से आशय है **मेडिकल टेक्नोलॉजी**। यह स्वास्थ्य देखभाल सेवा का एक सेगमेंट है।
  - इसमें **बीमारी की जांच, रोकथाम, उपचार** आदि के लिए कई तरह के **चिकित्सा उत्पादों या उपकरणों के डिजाइन और निर्माण** को शामिल किया जाता है।
- **वर्तमान स्थिति:**
  - भारत **एशिया में चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार** है। प्रथम तीन स्थान पर क्रमशः **जापान, चीन और दक्षिण कोरिया** हैं।
  - भारत का **वर्तमान चिकित्सा उपकरण बाजार लगभग 14 बिलियन डॉलर** का है। **2030 तक इसके 30 बिलियन डॉलर** तक हो जाने का अनुमान है।
- **शुरू की गई मुख्य पहलें:**
  - मेडिटेक क्षेत्रक में **स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति** दी गई है,
  - **राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023** जारी की गई है,
  - भारत में **चिकित्सा उपकरणों के लिए उत्कृष्टता केंद्र** स्थापित किए जा रहे हैं आदि।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS)

हाल ही में जारी आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ है कि **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS) में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) के लिए 5% उप-कोटा पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया गया है।**

- **ढेबर आयोग** की सिफारिशों के आधार पर भारत में **75 आदिवासी समुदायों** को PVTGs के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि इसके तहत **कुछ निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा** करना होता है।

EMRS के बारे में

- इसे **1997-98 में दूरदराज के क्षेत्रों में STs (अनुसूचित जनजाति) के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान** करने के लिए शुरू किया गया था।
  - प्रत्येक स्कूल के लिए **कक्षा VI से XII तक 480 छात्रों** की क्षमता का प्रावधान किया गया है।
- **विस्तार**
  - **स्थापना का प्रावधान (2022 तक):** EMRS उन ब्लॉक्स में स्थापित किए जाते हैं, जहां **50% से अधिक ST आबादी** है और कम-से-कम **20,000 जनजातीय लोग** रहते हैं।
  - ये **नवोदय विद्यालय** के समकक्ष विद्यालय हैं।
- **मंत्रालय:** जनजातीय कार्य मंत्रालय।

संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था (Protected Area Regime)

हाल ही में, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के तीन राज्यों- **मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था** को फिर से लागू किया है।

- राज्यों में **पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2011 में इस व्यवस्था को खत्म** कर दिया गया था।

संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था के बारे में

- **कानूनी फ्रेमवर्क:** इसे **विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958** के तहत जारी किया जाता है।
- **कवर किए गए क्षेत्र:** इसमें राज्य की 'इनर लाइन' और **अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच आने वाले सभी क्षेत्र** शामिल होते हैं।
  - इसमें **अरुणाचल प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र** तथा **हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड** के कुछ हिस्से भी शामिल हैं।
- **विनियमन:** विदेशी नागरिकों को इन क्षेत्रों में जाने से पहले **सक्षम अथॉरिटी से विशेष परमिट** प्राप्त करना होता है।
  - **जारी करने वाली अथॉरिटी:** केंद्रीय गृह मंत्रालय
  - **वैधता:** 10 दिन।

सनोबर और बर्च के वृक्ष (Fir and Birch Tree)

एक हालिया स्टडी के अनुसार **जलवायु परिवर्तन की वजह से मध्य हिमालय के ट्री-लाइन क्षेत्र में बदलाव** देखे जा रहे हैं।

- इस **क्षेत्र में मुख्य रूप से बर्च के वृक्ष** पाए जाते हैं। इनकी **जगह अब सनोबर (फिर)** वृक्ष ले रहे हैं। सनोबर धीमी गति से बढ़ने वाला सदाबहार शंकुधारी वृक्ष है।

बर्च वृक्ष के बारे में

- यह **तेजी से बढ़ने वाली पर्णपाती चौड़ी पत्ती वाली वृक्ष प्रजाति** है। ये वृक्ष हिमालय में पाए जाते हैं।
- ये वृक्ष **आर्द्र या नम जलवायु तथा अधिक शुष्क चट्टानी या रेतीली मृदा** में उगते हैं।

सनोबर (फिर) वृक्ष के बारे में

- यह **शंकुधारी वृक्ष प्रजाति** है। ये वृक्ष **अधिक ऊंचाई** वाले वन पारिस्थितिकी-तंत्र में पाए जाते हैं।
- इन वृक्षों को **उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका** में भी देखा जा सकता है।

डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सभी कमर्शियल SMS का पता लगाने के लिए **ब्लॉकचेन-आधारित डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) फ्रेमवर्क को लागू** किया।

- इसके तहत सभी प्रमुख संस्थाओं (PEs) जैसे व्यवसायों, बैंकों आदि को अपने टेलीमार्केटर्स (TMs) के साथ DLT के जरिए अपने मैसेज ट्रांसमिशन पथ को पंजीकृत कराना होगा।
- इसका उद्देश्य **सुरक्षित और स्पैम-मुक्त कमर्शियल SMS इकोसिस्टम** तैयार करना है।

डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) के बारे में

- DLT डिजिटल लेन-देन के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। इसमें किसी भी **केंद्रीकृत प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं** होती है। ब्लॉकचेन DLT का सबसे अच्छा उदाहरण है।
- यह **"डिस्ट्रीब्यूटेड यानी वितरित"** रहता है, क्योंकि एक नेटवर्क में कई प्रतिभागी बहीखाते की प्रतियों को साझा और सिंक्रनाइज़ करते हैं।
- नए लेन-देन क्रिप्टोग्राफिक रूप से **सुरक्षित, स्थायी और रियल टाइम में सभी के लिए दृश्यमान** होते हैं।

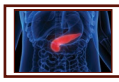

GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के वैज्ञानिकों ने **GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स नामक दवाओं के एक नए वर्ग का समर्थन** किया है।

- **ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड (GLP)-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स का उपयोग टाइप 2 मधुमेह और मोटापे के इलाज** में किया जाता है।
- ये एक प्रमुख **हार्मोन GLP-1** के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यह हार्मोन **ब्लड शुगर लेवल, लिपिड चयापचय और कई अन्य महत्वपूर्ण जैविक कार्यों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाता है।
  - **GLP-1 मनुष्य की आंत** में निर्मित होता है। इसका स्राव भोजन करने के बाद होता है।
  - इससे **भूख कम** हो जाती है और **इंसुलिन का स्राव कम** हो जाता है।

फेवा डायलॉग (Phewa Dialogue)

हाल ही में **नेपाल और चीन ने "फेवा डायलॉग" सीरीज** शुरू की।

फेवा डायलॉग के बारे में

- इस **डायलॉग या संवाद का नाम नेपाल की प्रसिद्ध फेवा झील** के नाम पर रखा गया है।
  - यह **नेपाल की सबसे बड़ी झीलों में से एक** है। यह पोखरा घाटी में स्थित है।
  - इस झील को **हरपन खोला और सेती खोला नामक बारहमासी झरनों** से जल प्राप्त होता है।
- इस डायलॉग का उद्देश्य **वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में बदलाव के साथ दक्षिण एशिया में बदलाव और इसकी जरूरतों से जुड़ी समस्याओं का समाधान** करना है।
- यह **दक्षिण एशिया क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण पर नेपाल का पहला आधिकारिक थिंक टैंक फोरम** है।

गैर-विनियमित ऋण गतिविधियों पर प्रतिबंध (BULA)

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग ने **गैर-विनियमित ऋण गतिविधियों पर प्रतिबंध (BULA) विधेयक** के मसौदे (ड्राफ्ट) पर सुझाव मांगा।

ड्राफ्ट BULA विधेयक के बारे में

- इस विधेयक का ड्राफ्ट **RBI के डिजिटल ऋण कार्य समूह (WGDL)** की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है।
- **उद्देश्य:** गैर-विनियमित ऋण गतिविधियों पर अंकुश लगाना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
- इस विधेयक में उन सभी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा लोगों को ऋण देने के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया गया है, जो **RBI या किसी अन्य विनियामक संस्था द्वारा अधिकृत नहीं** किए गए हैं।
- इस विधेयक में **भारत में कार्यरत सभी ऋण प्रदाताओं की सूची पर एक केंद्रीय डेटाबेस** बनाने का प्रावधान किया गया है।

युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय

संस्कृति मंत्रालय ने युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को विश्व स्तरीय सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए **फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट (FMD)** के साथ साझेदारी की है।

युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के बारे में

- यह **सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना** का हिस्सा है। इसका विस्तार **नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक** में होगा।
- यह संग्रहालय **भारत की विरासत को प्रदर्शित** करेगा।
- ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का रचनात्मक रूप से पुनः उपयोग उनकी वास्तुकला विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करेगा। साथ ही, एक जीवंत और कुशल सांस्कृतिक स्थल का निर्माण करेगा।
  - यह दृष्टिकोण फ्रांस की **"ग्रैंड्स प्रॉजेक्ट्स"** पहल से प्रेरित है। इस प्रोजेक्ट के तहत **फ्रांस में सरकारी इमारतों को प्रतिष्ठित सांस्कृतिक स्थलों में बदल** दिया गया है।